[2021] 1 एस. सी. आर. 1162

प्रवीण विद्युत पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2021 की सिविल अपील संख्या 825)

08 मार्च, 2021

[आर. एफ. नरीमन, बी. आर. गवई और

ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 8 , 11 (6) , (6ए),

(7) - प्रत्यर्थी यू/द्वारा दायर याचिका कथित परामर्श समझौते के आधार पर एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 (6)-अपीलार्थी ने समझौते के निष्पादन से इनकार कर दिया-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता था और पक्षों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। कुछ ईमेल और पत्राचार से पता चलता है कि अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच दक्षिण बिहार बिजली वितरण द्वारा जारी निविदा के संबंध में कुछ सौदा हुआ था।

कंपनी लिमिटेड (एस. बी. पी. डी. सी. एल.)-हालाँकि, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मध्यस्थता खंड वाले पक्षों के बीच एक संपन्न अनुबंध था -

क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है, यह एक मध्यस्थ पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो गवाहों की प्रतिपरीक्षा के बाद उसके सामने पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से जांच करेगा-जहां तक यह निर्णायक रूप से पाया जाता है कि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता है, तो विवादित निर्णय को अलग कर दिया जाना चाहिए।

हालांकि, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र नियुक्त करने का अंतिम आदेश

मध्यस्थ को बरकरार रखा जाता है-मध्यस्थ पहले प्रारंभिक मुद्दे का निर्धारण करेगा कि क्या पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है और मामले के गुण-दोष का फैसला तभी करेगा जब ऐसा समझौता मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 मौजूद हो।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 8 , 11 , 11 (6) , 11 (6ए), 11 (7), 37-विधि आयोग की रिपोर्ट-मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015-अधिनियम के तहत अपील करने योग्य आदेश-आयोजितः न्यायिक व्याख्या की एक प्रक्रिया द्वारा, विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने बताया कि (2021) 2 एस. सी. सी. 1 ने "प्रथम दृष्टया परीक्षण" को एस. में

पढ़ा। 11 (6(क) ताकि एस. एस. के प्रावधान लाए जा सकें। 8 (1) और 11 (6) आर/डब्ल्यू 11 (6 ए) बराबर पर-उस एस को ध्यान में रखते हुए। 11 (7) और

1162 प्रवीण विद्युत पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड।

एस. 37 संशोधन नहीं किया गया, एक विसंगति उत्पन्न होती है-विद्या द्रोलिया में जो निर्णय लिया गया है, उसके आलोक में, संसद को एस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। 11 (7) और एस। 37 ताकि आदेश यू/एस. एस. बनाए जा सकें। 8 और 11 को समान रूप से अपील पर भी लाया जाता है।

एस में शब्द और वाक्यांश "अस्तित्व"। 11 (6 अ)-का अर्थ -

चर्चा-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: 1. 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट न केवल

उन परिवर्तनों पर चर्चा की जो पहले उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किए जाने हैं, लेकिन उन संशोधनों के लिए भी प्रावधान किया गया है जो धारा 8 और 11 में किए जाने थे। धारा 37, जो अपील का प्रावधान है, में भी संशोधन करने की मांग की गई थी। जब संसद ने विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में 2015 का संशोधन अधिनियमित किया, तो उसने विधि आयोग की रिपोर्ट की धारा 8 और धारा 37 की योजना का पालन करते हुए "... जब तक कि वह यह न पाए कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है" शब्दों को अधिनियमित किया।

धारा 37 (1) में खंड (ए) धारा 8 के तहत किए गए आदेश में अपील प्रदान करता है, जो पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करता है।

किसी मामले के तथ्यों पर समझौता मौजूद था या मौजूद नहीं था। साथ ही, विधि आयोग की अनुशंसा के अनुसार धारा 37 (1) में कोई संशोधन नहीं किया गया था। लेकिन एक प्रक्रिया से न्यायिक व्याख्या के संबंध में, विद्या द्रोलिया ने अब धारा 11 (6 ए) में "प्रथम दृष्टया परीक्षण" को पढ़ा है ताकि धारा 8 (1) और 11 (6) आर/डब्ल्यू 11 (6 ए) के प्रावधानों को समान रूप से लाया जा सके। यह देखते हुए कि धारा 11 (7) और धारा 37 में संशोधन नहीं किया गया है, इस प्रकार एक विसंगति है।

उठती है। जबकि धारा 8 के तहत तय किए गए मामलों में,

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना धारा 37 (1) (ए) के तहत अपील योग्य है, धारा 6 (ए) और 7 के साथ पठित धारा 11 (6) के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इसी तरह का इनकार अपील योग्य नहीं है। विद्या द्रोलिया में जो निर्णय लिया गया है, उसके आलोक में संसद को [2021] 1 एस. सी. आर. की आवश्यकता हो सकती है।

धारा 11 (7) और धारा 37 पर फिर से विचार करें ताकि धारा 8 और 11 के तहत दिए गए आदेशों को अपील योग्य बनाया जा सके।

साथ ही। [पारस 19-21] [1191-G-H; 1194-G; 1195-D-H; 1196-A]

मायावती ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन

(2019) 8 एससीसी 714: [2019] 12 एस. सी. आर. 123; विद्या द्रोलिया

वी. दुर्गा व्यापार निगम (2021) 2 एस. सी. सी. 1-आश्रित

पर।

विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा व्यापार निगम (2019) 20

एस. सी. सी. 406 संदर्भित है।

246 विधि आयोग की रिपोर्ट-संदर्भित।

रिकॉर्ड में। 7 जुलाई, 2014 के बाद ही बातचीत होती है जिसमें समान पक्षों के बीच एक मसौदा समझौते पर विचार-विमर्श किया जाता है। यह कहना अविश्वसनीय होगा कि एक ही विषय पर बातचीत और एक मसौदा समझौते के बारे में पार्टियों के बीच अंतिम हस्ताक्षरित समझौते पर सहमति होने के बाद बात की जाएगी। नोटरी जिसके बारे में कहा जाता है कि नोटराइज्ड एग्रीमेंट को ऐसा करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया था, उसका लाइसेंस पहले ही समाप्त हो गया था, एक ऐसा तथ्य जिसे उत्तरदाताओं द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। अन्यथा भी, एकल न्यायाधीश के कुछ

निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत और रिकॉर्ड के खिलाफ हैं। मेसर्स प्रोसेस कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर एक बिल उठाया गया था। लिमिटेड (प्रक्रिया), 29 तारीख को भुगतान करने की प्रक्रिया

सितंबर, 2014 और अपीलार्थी नहीं। समान रूप से, यह निष्कर्ष कि परामर्श समझौते का मसौदा 15 जुलाई, 2014 को भेजा गया था

एक मध्यस्थता खंड को समाहित करते हुए, पक्षकारों का मध्यस्थता के लिए विवादों को प्रस्तुत करने के संबंध में विज्ञापन होना भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से गलत है कि उसी दिन, एक ईमेल वापस भेजा गया था जिसमें विभिन्न शर्तें विवादित थीं, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला था।

पक्षों के बीच अनुबंध। साथ ही, यह निष्कर्ष कि प्रक्रिया प्रत्यर्थी की उप-ठेकेदार थी, अभिवचनों के विपरीत है

पक्षकारों के बीच जो अपीलार्थी के संयुक्त उद्यम भागीदार होने की प्रक्रिया से लेकर अपीलार्थी के साथ सामान्य निदेशकों की प्रक्रिया तक और उसके बाद प्रक्रिया को प्रमुख भागीदार के रूप में वर्णित किया गया था। उप-ठेकेदार-जहाज का प्रत्यर्थी द्वारा बिल्कुल भी अनुरोध नहीं किया जाता है, उपरोक्त केवल लिखित PRAVIN ELECTRICALS PVT से उत्पन्न होता है।

लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड।

एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुतियाँ। यह आरोप कि 7 जुलाई, 2014 के परामर्श समझौते पर श्री एम. जी. एस. के हस्ताक्षर नहीं थे, यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पक्षों द्वारा मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से बात से परे है। श्री एम. जी. एस. ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक शपथ पत्र में शपथ ली कि हस्ताक्षर 7 तारीख को दिखाई देंगे।

जुलाई, 2014 के समझौते पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने 7 जुलाई, 2014 को कोई समझौता नहीं किया है। फिर से, एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष कि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है

7 जुलाई, 2014 को ईमेल द्वारा आदान-प्रदान किए गए "मसौदा समझौते" में निहित दो कारणों से गलत है। ईमेल द्वारा भेजे गए समझौते के मसौदे का आदान-प्रदान 15 जुलाई, 2014 को किया गया था, न कि 7 जुलाई, 2014 को। दूसरा, 15 जुलाई, 2014 के ईमेल के जवाब में भेजे गए ईमेल से पता चलता है कि दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। पार्टियाँ। इसके अलावा, जिस दलील के साथ पक्षकार अदालत गए, वह यह थी कि 7 जुलाई, 2014 को दोनों पक्षों के बीच एक अनुबंध हुआ था। इस बात की कोई दलील नहीं थी कि 15 जुलाई, 2014 को दोनों पक्षों के बीच एक मसौदा समझौते का आदान-प्रदान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ था।

[पारस 23-26] [1196-D-G; 1197-A-G]

2.2 22 जुलाई, 2014 और 25 जुलाई, 2014 के ई-मेल पहली बार यहां प्रस्तुत किए गए और साथ ही कुछ पत्राचार भी किए गए।

एस. बी. पी. डी. सी. एल. और प्रत्यर्थी के बीच यह पता चलता है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच एस. बी. पी. डी. सी. एल. द्वारा जारी एक निविदा के लिए कुछ सौदा है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि

पक्षों के बीच एक अनुबंध होता है, जिसमें एक मध्यस्थता खंड होता है। सी. एफ. एस. एल. द्वारा निष्कर्ष की अनिर्णायक प्रकृति को देखते हुए, हरियाणा में समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षों द्वारा जिनके पंजीकृत कार्यालय बॉम्बे और बिहार में हैं, बिहार में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को देखते हुए; इस तथ्य को देखते हुए कि नोटरी जिसने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वह ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं था और इस मामले के तथ्यों पर उत्पन्न होने वाली कई अन्य उलझनें, किसी न किसी तरह से यह निष्कर्ष निकालना असुरक्षित है कि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है। विद्या धौलिया में कही गई प्रथम दृष्टया समीक्षा इस मामले के तथ्यों पर केवल एक निष्कर्ष पर ले जा सकती है कि क्या एक मध्यस्थता है।

पक्षों के बीच समझौता एक मध्यस्थ [2021] 1 एस. सी. आर. पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

जो गवाहों से जिरह करने के बाद अपने सामने पेश किए गए दस्तावेजी साक्षय की विस्तार से जांच करेगा।

इन सभी कारणों से, दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को तब तक दरकिनार कर दिया जाता है जब तक कि यह निर्णायक रूप से पाता है कि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता है। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के अंतिम आदेश को बरकरार रखा गया है। न्यायाधीश पहले एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित करेगा कि क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है, और मामले के गुण-दोष पर तभी निर्णय लेगा जब यह पहली बार पाया जाए कि ऐसा समझौता मौजूद है। [पैरा 27] [1198-बी-एफ]

मामला कानून संदर्भ

[2019] 12 एससीआर 123

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

(2021) 2 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

(2019) 20 एस. सी. सी. 406

पै

रा 12

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 825

2021 से।

उच्च न्यायालय के 12.05.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की मध्यस्थता याचिका संख्या 674 में नई दिल्ली में।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सास्वत पटनायक, गोविंद मनोहरन,

हसन मुर्तजा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

ध्रुव मेहता सीनियर एड. , सुश्री मीनाक्षी ज्योति, धरमवीर सिंह,

कीथ वर्गीज, सूर्य हरि कामूजू, सुश्री दिव्या रॉय, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील धारा 11 (6) के तहत दायर एक याचिका से उत्पन्न होती है।

पक्षकारों के बीच विवादों के निर्णय के लिए एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। द.

उत्तरदाता, गैलेक्सी इन्फ्रा एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्राम आरा गढ़, डाकघर धारहरा, जिला में है। वैशाली, पी. एस. हाजीपुर, बिहार और परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में हैं। अपीलार्थी, प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.

लिमिटेड, प्रमुख पी. आर. ए. वी. आई. एन. इलेक्ट्रिकल्स पी. वी. टी. में काम करता है। लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

3. 26 मई, 2014 को मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (इसके बाद) द्वारा एक ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई थी। "एस. बी. पी. डी. सी. एल"... के रूप में संदर्भित) एक योजना के निष्पादन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की नियुक्ति के लिए, टर्नकी आधार पर, सुदृढ़ीकरण के लिए,

बिहार के 20 शहरों की वितरण प्रणाली क्षमताओं में सुधार और वृद्धि। अपीलार्थी ने अपनी तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत की और उसे एल 1 बोलीदाता घोषित किया गया और 22 सितंबर, 2014 को काम से सम्मानित किया गया। यह प्रत्यर्थी का मामला है कि उसने 7 जुलाई, 2014 के एक परामर्श समझौते के तहत अपीलार्थी को उपरोक्त अनुबंध प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए थे, जिसके लिए वह कमीशन का हकदार था। इसके बाद यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी ने टिप्पणी और पुष्टि के लिए संलग्न एक मसौदा समझौते के साथ प्रतिवादी को 15 जुलाई, 2014 को एक ईमेल भेजा था। उसी दिन, प्रत्यर्थी ने अपना जवाब यह कहते हुए भेजा कि कुछ शर्तें स्वीकार्य नहीं थीं। इस न्यायालय में दिनांक 22 जुलाई, 2014 और 25 जुलाई, 2014 को पहली बार सामने आए ईमेलों में, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वास्तव में, पक्षों के बीच सभी मतभेदों को दूर किया गया था और एक अंतिम परामर्श समझौते पर पक्षों के बीच पत्राचार के माध्यम से सहमति व्यक्त की गई थी।

4. प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया कि उसने 27 सितंबर, 2014 को एक करोड़ रुपये के भुगतान के लिए एक चालान तैयार किया था। 28.09 लाख के लिए अग्रिम के रूप में

सेवा कर सहित परामर्श शुल्क। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त चालान एक मेसर्स प्रोसेस कंस्ट्रक्शन को संबोधित किया गया था और तकनीकी सेवा प्रा. लि. लिमिटेड (इसके बाद "प्रक्रिया" के रूप में संदर्भित) और प्रतिवादी और प्रक्रिया के बीच किए गए समझौते का संदर्भ देता है। इसके अलावा, 24 अप्रैल, 2016 को प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया कि उसने अपीलार्थी पर एक और चालान उठाया है। यह चालान भी था

प्रक्रिया के लिए संबोधित और के बीच एक समझौते का संदर्भ देता है

उत्तरदाता और प्रक्रिया। उत्तरदाता द्वारा व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्रस्तुत किए गए बही खाते प्रक्रिया के साथ लेनदेन को दर्शाते हैं न कि अपीलार्थी को। अंत में, 30 जून, 2017 को एक ईमेल के माध्यम से, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को अंतिम चालान संलग्न किया जिसमें रुपये की राशि का दावा किया गया था। 7 जुलाई, 2014 के कथित परामर्श समझौते के तहत 5 करोड़ 54 लाख रुपये। इसके बाद 9 मार्च, 2018 को एक मांग सह-कानूनी नोटिस जारी किया गया, जिसमें भुगतान की मांग की गई थी।

रुपये. कथित [2021] 1 एस. सी. आर. के तहत देय होने के रूप में अपीलार्थी से 5,54,14,318/-।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 जुलाई, 2014 का परामर्श समझौता। 22 तारीख के अपने जवाब के माध्यम से

मार्च, 2018 में, अपीलार्थी ने इस तरह की मांग नोटिस प्राप्त करने पर अपना आश्चर्य दर्ज किया और इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया कि पक्षों के बीच 7 जुलाई, 2014 को कोई समझौता किया गया था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से 7 जुलाई, 2014 के कथित समझौते की एक प्रति और कानूनी सूचना में निर्दिष्ट भुगतान विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया।

5. 26 अप्रैल, 2018 को प्रत्यर्थी ने 7 जुलाई, 2014 के कथित परामर्श समझौते के अनुच्छेद 14 को लागू किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि निर्णय लेने के लिए परमेश्वर चौधरी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया

दलों के बीच मतभेद। 3 मई, 2018 को, अपीलार्थी ने 7 जुलाई, 2014 के समझौते के निष्पादन से इनकार किया और इसलिए कहा कि मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है। हमें सूचित किया जाता है कि 14 मई, 2018 को प्रतिवादी के अधिवक्ताओं ने अंततः एक प्रति प्रदान की

अपीलार्थी को 7 जुलाई, 2014 को किए गए कथित समझौते के बारे में।

6. 7 सितंबर, 2018 को, प्रतिवादी ने 7 जुलाई, 2014 के कथित समझौते के आधार पर एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक याचिका दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 नवंबर, 2018 के एक आदेश के माध्यम से प्रतिवादी को 7 जुलाई, 2014 के परामर्श समझौते का मूल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद अपीलार्थी को 7 दिसंबर, 2018 को पंजीयक (न्यायिक) के समक्ष अपीलार्थी के प्रबंध निदेशक श्री एम. जी. स्टीफन को पेश करने का निर्देश दिया गया, ताकि वह अपने साथ ऐसे दस्तावेज ले जा सके जिन पर समकालीन समय में उनके मूल हस्ताक्षर हों। द. पंजीयक (न्यायिक) को श्री एम. जी. स्टीफन के हस्ताक्षर प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया। श्री एम. जी. स्टीफन के उपरोक्त हस्ताक्षरों के साथ समझौते के मूल को एक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सी. एफ. एस. एल. को भेजा जाना था। रिपोर्ट तब प्राप्त हुई और 20 सितंबर, 2019 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट की प्रतियां पक्षों के विद्वान वकील को दी जाएं। अंत में, 30 सितंबर, 2019 को, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्हें मामले को लड़ने के निर्देश थे, जिसके बाद विवादित

12 मई, 2020 का निर्णय पारित किया गया था।

7 जुलाई, 2014 और पक्षों के बीच पत्राचार, जिसमें एस. बी. पी. डी. सी. एल. और प्रतिवादी के बीच पत्राचार शामिल है। इसके बाद उपरोक्त के माध्यम से जाते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब निर्णय दिया:

ए. वी. आई. एन. इलेक्ट्रिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 39. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विभिन्न ईमेलों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया है जो इंगित करते हैं कि एक परामर्श 07.07.2014 पर पक्षों के बीच समझौता निष्पादित किया गया था। उक्त समझौते में, पक्षकार एस. बी. पी. डी. सी. एल. से निविदा प्राप्त करने में प्रतिवादी के सफल होने की स्थिति में याचिकाकर्ता को मिलने वाले शुल्क के प्रतिशत पर सहमत हुए। 15.07.2014 पर प्रत्यर्थी ने समझौते की एक सॉफ्ट कॉपी के साथ एक ईमेल भेजा था जिसमें सुझाव दिया गया था कि

परामर्श शुल्क का एक निश्चित प्रतिशत। बाद के ईमेल भी रिकॉर्ड पर रखे जाते हैं जो दर्शाते हैं कि पार्टियों के बीच भुगतान की शर्तों पर चर्चा की जा रही थी। 30.06.2017 दिनांकित ईमेल भी रिकॉर्ड में है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से एक अंतिम चालान भेजा गया था। दिनांकित 07.07.2014 समझौते का संदर्भ देते हुए। इनमें से किसी भी दस्तावेज को प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी बताया है कि प्रतिवादी ने शर्तों के अनुसार भुगतान भी किया है

समझौता। भुगतान शर्तों के अनुसार, एस. बी. पी. डी. सी. एल. से प्रत्यर्थी द्वारा एल. ओ. आई. की प्राप्ति पर Rs.25 लाख का भुगतान देय था। मान लीजिए कि 22.09.2014 पर, प्रत्यर्थी को एल. ओ. आई. प्रदान किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा 27.09.2014 पर Rs.25 लाख के लिए चालान उठाने पर, प्रत्यर्थी ने वास्तव में 29.09.2014 पर भुगतान किया था। के लिए वकील

याचिकाकर्ता ने 27.09.2014 दिनांकित ईमेल भी दिखाया है जिसमें प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को अपने लेटरहेड पर चालान उठाने के लिए कहा था। मेरे विचार में ये दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि पक्षों ने एक समझौता किया था जिसके अनुसार पक्षों ने कार्य किया था। याचिकाकर्ता ने एल. ओ. आई. के निर्णय में प्रत्यर्थी की सहायता की थी और प्रत्यर्थी ने शुरू में उक्त समझौते दिनांक 07.07.2014 के संदर्भ में भुगतान किया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह कहना भी सही है कि 15.07.2014 पर, प्रतिवादी ने स्वयं एक ईमेल भेजा था जिसमें एक मसौदा परामर्श समझौता था जिसमें अनुच्छेद 14 शामिल था, जिसमें कहा गया था कि

मध्यस्थता खंड था। इस प्रकार पक्षकार मध्यस्थता को विवादों को प्रस्तुत करने के संबंध में सहमत थे।

40. यह तथ्य कि पक्षों के बीच एक समझौता था, इस तथ्य से भी मजबूत होता है कि द्वारा भेजी गई जानकारी प्रत्यर्थी को अनुबंध देने के संबंध में विभाग

प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता को दिनांकित 22.09.2014 ईमेल के माध्यम से भी भेजा गया था। विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांकित 25.09.2014 ईमेल के माध्यम से भेजे गए स्वीकृति पत्र का मसौदा याचिकाकर्ता द्वारा उसी दिन प्रतिवादी को एक ईमेल द्वारा भेजा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. मेरे विचार में प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील अपने इस तर्क में सही नहीं है कि चूंकि एक मसौदा समझौते द्वारा ईमेल किया गया था

प्रत्यर्थी, कोई निष्पादित समझौता दिनांकित 07.07.2014 नहीं था। दिनांकित 15.07.2014 ईमेल से, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी

15.07.2014 से पहले एक समझौते को निष्पादित किया था। याचिकाकर्ता ने दिनांकित 15.07.2014 ईमेल में स्पष्ट रूप से कहा था कि मसौदा समझौते में भुगतान की शर्तें अलग थीं और कोई शर्त नहीं है।

इस ईमेल की सामग्री से इनकार करने का सबूत देते हुए प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिकॉर्ड पर दस्तावेज़।

42. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि चालान पी. सी. टी. एस. पी. एल. पर उठाए गए थे और याचिकाकर्ता पर नहीं, याचिकाकर्ता है

अपने प्रस्तुतिकरण में सही है कि पी. सी. टी. एस. पी. एल. केवल प्रतिवादी का एक उप-ठेकेदार था। याचिकाकर्ता ने अपनी वसीयत पर बिल नहीं उठाया था। याचिकाकर्ता के वकील ने पी. सी. टी. एस. पी. एल. द्वारा प्रतिवादी यानी श्री मनोज पानीकर को श्री स्टीफन को भेजे गए दिनांकित 24.09.2019 ईमेल की ओर इशारा किया है जिसमें पी. सी. टी. एस. पी. एल. ने मसौदे को ईमेल किया था।

प्रत्यर्थी को चालान और पुष्टि मांगी कि क्या इसे याचिकाकर्ता को भेजा जा सकता है और अंत में, संशोधित मसौदा चालान याचिकाकर्ता को पी. सी. टी. एस. पी. एल. द्वारा 27.09.2019 पर भेजा गया था।

43. प्रत्यर्थी का यह तर्क कि यह पी. सी. टी. एस. पी. एल. था जिसने याचिकाकर्ता को भुगतान किया था और यह उनके अपने अंतर-व्यावसायिक संबंधों के कारण था, कोई योग्यता नहीं रखता है। अभिलेख पर रखे गए चालान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह विभाग द्वारा प्रत्यर्थी को दिए गए अनुबंध के संबंध में था, जिसके साथ पी. सी. टी. एस. पी. एल. का कोई सीधा संबंध नहीं था। यह अपने आप में

इस तथ्य का संकेत है कि चालान के प्राप्तकर्ता का पता रद्द कर दिया जाता है, वही विभाग द्वारा प्रतिवादी को दिए गए अनुबंध के संबंध में थे और जिसके लिए याचिकाकर्ता एक सलाहकार था।

44. जहाँ तक प्रत्यर्थी का यह तर्क है कि 07.07.2014 दिनांकित परामर्श समझौते में नहीं था

श्री एम. जी. स्टीफन के हस्ताक्षर और इसलिए, पक्षों के बीच एक समझौते के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, बिना योग्यता के है। जैसा कि फैसले के पहले भाग में उल्लेख किया गया है, यह अनिवार्य नहीं है

एक मध्यस्थता समझौते के लिए कि उस पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। कारवेल शिपिंग सर्विसेज प्रा. लि. के मामले में उच्चतम न्यायालय। लिमिटेड बनाम। एम/एस। प्रीमियर सी फूड्स (2019) 11 एस. सी. सी. 461, स्पष्ट रूप से निम्नानुसार है:

प्रवीण विद्युत पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 8. इसके अलावा, हम संकेत दे सकते हैं कि इस संबंध में कानून, जुगल किशोर रामेश्वरदास बनाम। गुलबाई होरमुसजी, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 812 का कहना है कि एक मध्यस्थता समझौते को लिखित रूप में होना चाहिए, हालांकि उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा, 1996 के अधिनियम की धारा 7 (3) में जारी है। धारा 7 (4) केवल यह जोड़ती है कि तीन उपखंडों में उल्लिखित परिस्थितियों में एक मध्यस्थता समझौता पाया जाएगा।

खंड जो धारा 7 (4) बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी मामलों में मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। एकमात्र पूर्व अपेक्षा यह है कि यह लिखित रूप में हो, जैसा कि धारा 7 (3) में बताया गया है। ”

45. मेरे विचार में, याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण देते हैं कि एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है 07.07.2014 दिनांकित ईमेल द्वारा आदान-प्रदान किए गए मसौदा समझौते में निहित पक्षों के बीच। वर्तमान मामला पूरी तरह से अधिनियम की धारा 7 (4) (बी) के दायरे में आता है। अपरिहार्य परिणाम यह है कि पक्षकारों को निर्णय के लिए मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए

उनके विवाद "।

जिसके बाद बातचीत होती है और एक मसौदा समझौते को संदर्भित किया जाता है। तथ्य यह है कि इस तरह के कथित होने के बाद बातचीत हुई है समझौता दर्शाता है कि ऐसा कथित समझौता वास्तव में मौजूद नहीं है। वह.

यह भी तर्क दिया कि समझौते को फरीदाबाद, हरियाणा में नोटरीकृत किया गया है, जब पक्ष क्रमशः मुंबई और बिहार से हैं। उन्होंने यह दिखाने के लिए दस्तावेज भी पेश किए हैं कि तथाकथित नोटरी का लाइसेंस कथित रूप से 7 जुलाई, 2014 को नोटराइजेशन होने से बहुत पहले समाप्त हो गया था। उन्होंने तर्क दिया कि एक बार पक्षकारों [2021] 1 एस. सी. आर. के बीच जो मामला दायर किया जाता है।

यदि गलत पाया जाता है, तो प्रत्यर्थी को अब पहली बार यहां प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि यह दिखाया जा सके कि 7 जुलाई, 2014 के परामर्श समझौते के अलावा भी, उक्त तिथि के बाद पक्षों के बीच पत्राचार में एक समझौता किया जाता है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला करते हुए तर्क दिया कि जो निष्कर्ष निकाले गए थे कि चालान उठाए जा रहे थे और भुगतान किए जा रहे थे, वे पूरी तरह से गलत हैं क्योंकि ऐसे चालान गलत थे।

उत्तरदाता और प्रक्रिया के बीच किए गए एक अलग समझौते के तहत केवल प्रक्रिया द्वारा भुगतान किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस मामले की दलीलों पर विचार किया जाता है, तो प्रक्रिया को प्रतिवादी द्वारा एक स्थान पर अपीलार्थी के साथ एक संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में वर्णित किया गया है, फिर एक निजी कंपनी के रूप में वर्णित किया गया है जिसके अपीलार्थी के साथ सामान्य निदेशक हैं; और फिर अंत में केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर लिखित प्रस्तुतियों में एक उप-ठेकेदार के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे अंतिम अपील को उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया है। यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में भी एक और याचिका है -

उस प्रक्रिया को अपीलार्थी का प्रमुख भागीदार माना जाता है। इन सभी कारणों से, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपील के तहत निर्णय को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

यह दिखाने के लिए कि भले ही 7 जुलाई, 2014 के परामर्श समझौते पर भरोसा नहीं किया जाता है, फिर भी एक मध्यस्थता खंड मौजूद है कि पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए मसौदा समझौते की परिणति 25 जुलाई, 2014 को एक अंतिम समझौते में हुई। किसी भी मामले में, यदि एस. बी. पी. डी. सी. एल. और प्रत्यर्थी के बीच पत्राचार को सी. सी. को चिह्नित किए जाने के साथ देखा जाना है अपीलार्थी, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता के रूप में कार्य किया और अपीलार्थी के लिए बोली को सफलतापूर्वक प्राप्त किया।

उस पर कमीशन। उन्होंने तर्क दिया कि अपील के तहत निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट भी अनिर्णायक थी और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संदर्भित पत्राचार स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि इस मामले में नाटकीय व्यक्तित्व ने एक-दूसरे के साथ बातचीत की और वह, लेकिन अपने मुवक्किल, प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रयासों के लिए। लिमिटेड को कभी बोली नहीं मिली होगी। उन्होंने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए इस न्यायालय के कई फैसलों पर भरोसा किया।

10. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, पहले मध्यस्थता और सुलह के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।

अधिनियम, 1996:

ए. वी. आई. एन. इलेक्ट्रिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां एक

राशन समझौता।

(1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष एक मामले में कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि -

मध्यस्थता समझौते का पक्षकार या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, इसलिए उसे प्रस्तुत करने की तारीख से बाद में लागू नहीं होता है।

सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद न्यायालय या कोई भी न्यायालय, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है जब तक कि वह यह न पाए

कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।

11. मध्यस्थों की नियुक्ति।—

XXXX

(6) जहाँ, द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत

पार्टियाँ, -

(ख) पक्षकार, या दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं; या (ग) एक व्यक्ति, एक संस्था सहित, किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है।

उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपा गया,

एक पक्ष उच्चतम न्यायालय से अनुरोध कर सकता है या, जैसा भी मामला हो,

उच्च न्यायालय या ऐसे द्वारा नामित कोई व्यक्ति या संस्था

अदालत को आवश्यक उपाय करने के लिए, जब तक कि समझौते पर

नियुक्ति प्रक्रिया सुरक्षित करने के लिए अन्य साधन प्रदान करती है

नियुक्ति।

(6क) उच्चतम न्यायालय या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी निर्णय के बावजूद,

किसी भी न्यायालय की डिक्री या आदेश, की परीक्षा तक सीमित

मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व।

XXXX

(7) उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) द्वारा 3 सर्वोच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए मामले पर निर्णय अंतिम है और लेटर पेटेंट अपील सहित कोई अपील नहीं है।

इस तरह के निर्णय के खिलाफ होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. धारा 8 और 11 को विधि आयोग की 246 वीं विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार संशोधित किया गया था।

मध्यस्थता। 2015 से पहले के कानून का इतिहास उपरोक्त रिपोर्ट में दिया गया है और उसमें किए गए परिवर्तन इस न्यायालय द्वारा मायावती ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड बनाम में अपने फैसले में परिलक्षित होते हैं। प्रद्युत देब बर्मन, (2019) 8 एस. सी. सी. 714 निम्नानुसार:

" 9. 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इनमें से कुछ निर्णयों पर विचार किया गया और महसूस किया गया कि धारा 11 (6) के आवेदन के स्तर पर, मध्यस्थता समझौते के केवल "अस्तित्व" पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि अन्य प्रारंभिक मुद्दों पर। इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में, अर्थात्, गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड v. तटीय समुद्री

निर्माण और इंजीनियरिंग। लिमिटेड, (2019) 9 एस. सी. सी. 209, इस न्यायालय ने उक्त विधि आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया और कहा:

" 8. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मामला कानून, जैसा कि यह संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले था, एक चेकर था।

इतिहास.

9. कोंकण रेलवे निगम में। लिमिटेड वी. मेहूल कंस्ट्रक्शन कं., (2000) 7 एस. सी. सी. 201 (कोंकण रेलवे 1), यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1996 अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां हैं -

प्रकृति में प्रशासनिक, और यह कि मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करता है। कोंकण रेलवे निगम में भी यही विचार दोहराया गया था। लि. वी. रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड, (2002) 2 एससीसी 388 (कोंकण रेलवे 2)।

10. हालांकि, एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम. पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618, एक सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस विचार को खारिज कर दिया और कहा कि धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति न्यायिक है न कि प्रशासनिक। सात न्यायाधीशों की पीठ के निष्कर्षों को उपरोक्त निर्णय के पैरा 47 में संक्षेपित किया गया था। हम चिंतित हैं।

सीधे उप-पैरा (i), (iv) और (xii) के साथ, जो निम्नानुसार है:

(एससीसी पीपी। 663-64)

‘ (i) अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति एक प्रशासनिक शक्ति नहीं है। यह एक न्यायिक शक्ति है।

***

((iv) मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा जैसा कि पहले के इन इलेक्ट्रीकल पी. वी. टी. में संकेत दिया गया था।

लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इस फैसले का हिस्सा। ये उनके अपने अधिकार क्षेत्र होंगे

अनुरोध पर विचार करें, एक वैध मध्यस्थता का अस्तित्व समझौता, एक जीवित दावे का अस्तित्व या अन्यथा,

अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए शर्त का अस्तित्व और

मध्यस्थ या मध्यस्थ की योग्यताएँ। मुखिया।

न्याय या नामित न्यायाधीश की मांग करने का अधिकार होगा अधिनियम की धारा 11 (8) के अनुसार योग्य मध्यस्थ को नामित करने के मामले में किसी संस्था की राय यदि आवश्यकता हो, लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश केवल -

मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश।

***

(xii) कोंकण रेलवे निगम में निर्णय। लिमिटेड वी. रानी

कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड, (2002) 2 एस. सी. सी. 388 को खारिज कर दिया गया है।

.....राष्ट्रीय बीमा कंपनी में इस स्थिति को और स्पष्ट किया गया था।

डी। वी. बोघरा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एस. सी. सी. 267 निम्नानुसार हैः

सी. सी पी. 283 , पैरा 22)

$ 22 . जहाँ न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की जाती है

धारा 11 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति का कर्तव्य एस. बी. पी. एंड कंपनी में परिभाषित किया गया है।

(ऊपर) इस न्यायालय ने प्रारंभिक की पहचान की और उसे अलग किया

ऐसे मुद्दे जो किसी आवेदन में विचार के लिए उत्पन्न हो सकते हैं

अधिनियम की धारा 11 को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात (i) वे मुद्दे जिनका निर्णय मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति करने के लिए बाध्य है; (ii) वे मुद्दे जिनका वह निर्णय भी कर सकता है, अर्थात वे मुद्दे जो वह कर सकता है।

निर्णय लेना चुनें; और (iii) ऐसे मुद्दे जिनका निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

22.1 . वे मुद्दे (प्रथम श्रेणी) जो मुख्य न्यायाधीश/उनके

नामित व्यक्ति को यह तय करना होगा कि:

(क) क्या आवेदन करने वाले पक्ष के पास है

उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

(ख) क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या

जिस पक्ष ने अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन किया है, वह इस तरह के समझौते का एक पक्ष है।

2.2 . वे मुद्दे (दूसरी श्रेणी) जिन्हें मुख्य न्यायाधीश/उनके हस्ताक्षरकर्ता तय करने के लिए चुन सकते हैं (या उन्हें निर्णय पर छोड़ सकते हैं)

ई मध्यस्थ न्यायाधिकरण) हैं:

चाहे दावा एक मृत (लंबे समय से वर्जित) दावा हो या

(अ)

जीवित दावा।

(ख)

क्या पक्षों ने अनुबंध पूरा कर लिया है /

उनके पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके लेनदेन।

22.3 . जिन मुद्दों (तीसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ना चाहिए, वे हैं:

((i)

क्या किया गया दावा मध्यस्थता के दायरे में आता है

खंड (उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला जो विभागीय प्राधिकरण के अंतिम निर्णय के लिए आरक्षित है और जिसे मध्यस्थता से अलग या बाहर रखा गया है)।

((ख)

मध्यस्थता में शामिल गुण या कोई दावा। '

12. इन निर्णयों के परिणामस्वरूप, दरवाजे व्यापक रूप से खुले थे

मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को बड़ी संख्या में प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए जिन्हें अन्यथा छोड़ दिया जा सकता था 1996 के अधिनियम की धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया गया। नतीजतन, भारत के विधि आयोग ने अगस्त 2014 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट संख्या 246 द्वारा सुझाव दिया कि विभिन्न व्यापक

1996 के अधिनियम में परिवर्तन किए जाएँ। जहां तक एस. बी. पी. एंड कंपनी (ऊपर) और बोघरा पॉलीफैब (ऊपर) का संबंध है, कानून

आयोग ने मामले की जांच की और धारा 11 में एक नई उप-धारा, अर्थात् उप-धारा (6-ए) को जोड़ने की सिफारिश की। ऐसा करने में, विधि आयोग की सिफारिशें जो हैं -

प्रासंगिक और जिसके कारण धारा 11 (6-ए) को लागू किया गया, वे इस प्रकार हैं:

'28 . अधिनियम उन स्थितियों को मान्यता देता है जहाँ का हस्तक्षेप

न्यायालय की परिकल्पना पूर्व-मध्यस्थता चरण में की गई है अर्थात इससे पहले

मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन, जिसमें धारा 8 शामिल है,

9 , 11 भाग I और धारा 45 के मामले में

भाग II मध्यस्थता का मामला। धारा 8,45 और धारा 11 भी "मध्यस्थता के संदर्भ" और "मध्यस्थता की नियुक्ति" से संबंधित है।

न्यायाधिकरण ", न्यायाधिकरण के गठन को सीधे प्रभावित करता है और

मध्यस्थता कार्यवाहियों का कार्यकरण। अतः उनके ऑपरेशन का "आचरण" पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

मध्यस्थताओं का। धारा 9, केवल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से

अंतरिम राहत, हालांकि अधिकारों को प्रभावित करने की क्षमता है एन इलेक्ट्रीकल पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पक्षकारों का, इन अन्य प्रावधानों की तरह मध्यस्थता के "आचरण" को प्रभावित नहीं करता है। इस संदर्भ में आयोग ने इन प्रावधानों के कार्यकरण की जांच और विचार-विमर्श किया है और कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। 29. उच्चतम न्यायालय को विशेष रूप से अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में अनुमेय मध्यस्थता पूर्व न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे और प्रकृति पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला है। दुर्भाग्य से, हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सवाल इस संदर्भ में तैयार किया गया था कि क्या ऐसी शक्ति एक "न्यायिक" है।

या एक "प्रशासनिक" शक्ति-जो इस तरह के नामकरण/विवरण के अंतर्निहित वास्तविक मुद्दे को अस्पष्ट करती है

- ऐसी शक्तियों का दायरा-यानी उन तर्कों का दायरा जिन पर एक अदालत (मुख्य न्यायाधीश) यह तय करते समय विचार करेगी कि मध्यस्थ की नियुक्ति की जाए या नहीं, यानी कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं, क्या यह अमान्य है या नहीं, आदि। ; और इनमें से किसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए छोड़ देना चाहिए।

- इस तरह के हस्तक्षेप की प्रकृति - अर्थात। क्या न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश) एक विस्तृत परीक्षण पर मुद्दों पर विचार करेगा और क्या उनका अंत में निर्णय लिया जाएगा या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाएगा।

" न्यायिक "शक्ति। हस्तक्षेप के दायरे से संबंधित इस निर्णय में अंतर्निहित मुद्दों को बाद में स्पष्ट किया गया था राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम में रवींद्रन, जे। बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड (ऊपर), जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है: (एस. सी. सी पी. 283, पैरा 22)

' 22 .1 . मुद्दे (पहली श्रेणी) जो मुख्य न्यायाधीश/उनके

नामित व्यक्ति को यह तय करना होगा कि:

(क) क्या आवेदन करने वाले पक्ष के पास है

उचित उच्च न्यायालय में गए?

(ख) क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या वह पक्ष जिसने अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन किया है,

इस तरह के समझौते का पक्षकार?

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22.2 . जिन मुद्दों (दूसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति तय करने के लिए चुन सकता है, वे हैं:

(क) क्या दावा एक मृत (लंबे समय से वर्जित) दावा है या

लाइव दावा?

(ख) क्या पक्षों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके अनुबंध/लेनदेन का समापन किया है?

22.3 . वे मुद्दे (तीसरी श्रेणी) जिन्हें मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए। ये हैं:

((क) क्या किया गया दावा मध्यस्थता खंड के अंतर्गत आता है (उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला जो विभागीय प्राधिकरण के अंतिम निर्णय के लिए आरक्षित है और इसके अलावा या इसके दायरे से बाहर है।

मध्यस्थता)?

(ख) मध्यस्थता में शामिल किसी भी दावे के गुण-दोष।

31. आयोग का विचार है कि, इस संदर्भ में, न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे और प्रकृति के संबंध में वही परीक्षण, धारा 11 के संदर्भ में लागू, अधिनियम की धारा 8 और 45 पर भी लागू होना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका का दायरा और प्रकृति

हस्तक्षेप इस बात पर नहीं बदलना चाहिए कि क्या कोई पक्ष (करने का इरादा रखता है)

मध्यस्थता समझौते को विफल करना) मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में एक मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करता है, या इस तरह के मध्यस्थता समझौते के सामने न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही करता है।

32. हस्तक्षेप की प्रकृति के संबंध में, कानून की व्याख्या शिन एटसु केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पाई जाती है। अक्ष ऑप्टिफ़ाइबर लिमिटेड, (2005) 7 एस. सी. सी. 234, (अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में), जहां सर्वोच्च न्यायालय ने मुद्दों/विवाद को केवल प्रथम दृष्टया देखने के पक्ष में फैसला सुनाया है।

33. इस संदर्भ में आयोग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 और 11 में संशोधन की सिफारिश की है। न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा केवल उन स्थितियों तक सीमित है जहां

न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण को पता चलता है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है। जहाँ तक हस्तक्षेप की प्रकृति का संबंध है, यह अनुशंसा की जाती है कि ए. वी. आई. एन. विद्युत पी. वी. टी. में।

लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यदि न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता समझौते को चुनौती देने वाले तर्क के खिलाफ प्रथम दृष्टया संतुष्ट होता है, तो वह मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और/या पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजेगा, जैसा भी मामला हो। संशोधन में परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए नहीं भेजेगा जब वह पाएगा कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है। यदि न्यायिक प्राधिकरण की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है, तो वह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और अंततः मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को छोड़ देगा।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित। लेकिन अगर न्यायिक

प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि समझौता मौजूद नहीं है, फिर निष्कर्ष अंतिम होगा और प्रथम दृष्टया नहीं। संशोधन में यह भी परिकल्पना की गई है कि एक निर्णायक निर्धारण होगा कि मध्यस्थता समझौता अमान्य है या नहीं। यदि न्यायिक प्राधिकारी क्रमशः धारा 8 और 11 के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है और/या मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, तो ऐसा निर्णय अंतिम और गैर-अपील योग्य होगा। याचिका दायर की जा सकती है धारा 37 के तहत केवल मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने से इनकार करने या मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करने की स्थिति में रखा जाता है।

13. विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार, धारा 11 (6-ए) को पहले अध्यादेश द्वारा और फिर

संशोधन अधिनियम, 2015। मध्यस्थता और सुलह में संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण

(संशोधन) विधेयक, 2015, जिसने संशोधन अधिनियम, 2015 पेश किया, निम्नानुसार है:

' उद्देश्यों और कारणों का विवरण

***

6. मध्यस्थता और सुलह शुरू करने का प्रस्ताव है

(संशोधन) विधेयक, 2015, मध्यस्थता के स्थान पर और

सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015, जो अन्य बातों के साथ-साथ

निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है, अर्थात्

((i)

"न्यायालय" की परिभाषा में संशोधन करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का मामला, न्यायालय

उच्च न्यायालय होना चाहिए;

((ख)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक भारतीय न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है

अंतरिम उपाय, आदि प्रदान करने के लिए, यहां तक कि जहां

मध्यस्थता भारत के बाहर है; 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन होगा

(iii)

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा यथासंभव शीघ्रता से निपटाया गया और

साठ दिनों की अवधि के भीतर मामले को निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

((iv) किसी भी आवेदन पर विचार करते समय यह प्रावधान करना कि -

मध्यस्थ की नियुक्ति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थ के अस्तित्व की जांच करेगा।

मध्यस्थता समझौता और अन्य मुद्दे नहीं;

यह प्रावधान करने के लिए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपना निर्णय देगा

(v)

संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर और यह कि पक्षकार, हालांकि, ऐसी अवधि को छह महीने तक बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद केवल न्यायालय द्वारा कोई विस्तार दिया जा सकता है।

पर्याप्त कारण;

के आधार पर एक मॉडल शुल्क अनुसूची प्रदान करने के लिए

(vi)

कौन से उच्च न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस के निर्धारण के उद्देश्य से नियम बना सकते हैं, जहां एक उच्च न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति धारा 11 के संदर्भ में करता है

अधिनियम;

(vii) यह प्रावधान करना कि विवाद करने वाले पक्ष किसी भी स्तर पर कर सकते हैं

वे लिखित रूप में सहमत हैं कि उनके विवाद को त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाएगा और ऐसे मामलों में निर्णय दिया जाएगा। छह महीने की अवधि के भीतर किया जाना;

(viii) मध्यस्थों की तटस्थता का प्रावधान करना, जब मध्यस्थ के रूप में संभावित नियुक्ति के संबंध में किसी व्यक्ति से संपर्क किया जाता है;

पुरस्कार को चुनौती देने के लिए उस आवेदन को प्रदान करना है

(ix)

न्यायालय द्वारा एक वर्ष के भीतर निपटाया जाए।

7. विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से यह सुनिश्चित होगा कि

मध्यस्थता प्रक्रिया अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, लागत प्रभावी हो जाती है और मामलों के त्वरित निपटान की ओर ले जाती है।

. विधि आयोग की रिपोर्ट को पढ़ने के साथ-साथ

उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख, दर्शाता है कि कानून

ओमिशन ने महसूस किया कि पटेल एंग में निर्णय। लिमिटेड, (ऊपर)

डी बोघारा पॉलीफैब (ऊपर) को ए. वी. आई. एन. इलेक्ट्रिकल्स पी. वी. टी. के परिणामस्वरूप फिर से देखने की आवश्यकता थी।

लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जहाँ तक धारा 11 का संबंध है, उच्चतम न्यायालय या,

जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, किसी पर विचार करते हुए

धारा 11 (4) से 11 (6) के तहत आवेदन एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित है और अन्य सभी प्रारंभिक मुद्दों को मध्यस्थ द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

12. विद्या द्रोलिया बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से किसी अन्य मामले के संदर्भ की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। दुर्गा व्यापार व्याख्यान, (2021) 2 एस. सी. सी. 1. यह तीन न्यायाधीशों की पीठ का फैसला विद्या द्रोलिया बनाम में 3 विद्वान न्यायाधीशों के संदर्भ में आया था। दुर्गा निगम, (2019) 20 एस. सी. सी. 406। संजीव खन्ना, जे. स्पीकिंग ई कोर्ट ने न्यायालय के समक्ष उत्पन्न प्रश्न को इस प्रकार निर्धारित किया:

" 1. यह निर्णय तीन न्यायाधीशों के संदर्भ का निर्णय करता है

विद्या द्रोलिया बनाम में दिनांकित 28-2-2019 आदेश के माध्यम से। दुर्गा व्यापार

कॉर्प. , (2019) 20 एस. सी. सी. 406, क्योंकि यह हिमांगनी एंटरप्राइजेज बनाम में व्यक्त कानूनी अनुपात पर संदेह करता है। कमलजीत सिंह अहलूवालिया, (2017)

10 एस. सी. सी. 706 कि मकान मालिक-किरायेदार द्वारा शासित विवाद

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के प्रावधान मध्यस्थ नहीं हैं।

क्योंकि यह सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

2. संदर्भ क्रम पर गहन विचार से पता चलता है कि जिन मुद्दों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है, वे दो पहलुओं से संबंधित हैं -

विशिष्ट और फिर भी परस्पर जुड़े हुए, अर्थात्:

2.1 . (i) गैर-मध्यस्थता का अर्थ और जब विवाद का विषय मध्यस्थता के माध्यम से हल करने में सक्षम नहीं है।

2.2 . ((ii) पहेली-"कौन निर्णय करता है" कि क्या न्यायालय संदर्भ स्तर पर है या मध्यस्थता में मध्यस्थता न्यायाधिकरण है।

कार्यवाही गैर-मध्यस्थता के प्रश्न का निर्णय करेगी।

2.3 . दूसरा पहलू उस संदर्भ स्तर पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे से भी संबंधित है जब मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 या 11 के तहत एक आवेदन पर गैर-मध्यस्थता की आपत्ति उठाई जाती है।

मध्यस्थता अधिनियम ")।

13. इसके बाद पीठ ने विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट पर गौर किया

कमियाँ:

124. 2016 के अधिनियम 3 द्वारा किए गए संशोधनों के प्रभाव को समझने के लिए, कानून को संदर्भित करना उचित होगा।

आयोग की 246 वीं रिपोर्ट जिसमें [2021] 1 एस. सी. आर. के कारण दिए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 में संशोधन, जिसमें धारा 11 में उप-धारा (6-ए) को सम्मिलित करना शामिल है। इन कारणों से

नीचे पढ़े:

" 24. संशोधनों के दो और सेट प्रस्तावित किए गए हैं

इस संदर्भ में। सबसे पहले, यह देखा गया है कि मध्यस्थता की सीमा पर मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए बहुत समय खर्च किया जाता है

धारा 11 के तहत आवेदनों के रूप में कार्यवाही कई वर्षों तक लंबित रखी जाती है। इस संदर्भ में आयोग ने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने बदलाव का प्रस्ताव दिया है नियुक्ति की शक्ति की मौजूदा योजना "उच्च न्यायालय" और "सर्वोच्च न्यायालय" के "मुख्य न्यायाधीश" में निहित है और स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि "नियुक्ति" की शक्ति (मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व/निरर्थकता के संबंध में एक निष्कर्ष के विपरीत) को न्यायिक अधिनियम के रूप में नहीं माना जाएगा। यह कानून को तर्कसंगत बनाएगा और

उच्च न्यायालय और/या उच्चतम न्यायालय को नियुक्ति की शक्ति (एक गैर-न्यायिक अधिनियम होने के नाते) विशेषज्ञ, बाहरी व्यक्तियों या संस्थानों को सौंपने के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना। द. आयोग ने आगे एक संशोधन की सिफारिश की है -

धारा 11 (7) ताकि उच्च न्यायालय के निर्णय (मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व/निरर्थकता के संबंध में) अंतिम हों जहां

एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, और इस तरह गैर हैं

अपील योग्य। आयोग ने आगे धारा 11 (13) को जोड़ने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत न्यायालय को अपनी सेवा के साठ दिनों के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास करना होगा।

विपरीत पक्ष को नोटिस दें।

***

विधि आयोग की रिपोर्ट विशेष रूप से निर्णय का उल्लेख करती है।

शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का। अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड, (2005) 7 एस. सी. सी. 234, अंतरराष्ट्रीय से संबंधित एक निर्णय

न्यूयॉर्क कन्वेंशन द्वारा कवर किया गया मध्यस्थता।

14. धारा 8 के तहत "प्रथम दृष्टया" जांच से निपटने के लिए, अदालत ने तब निर्णय दिया:

134. प्रथम दृष्टया परीक्षा पूर्ण समीक्षा नहीं है, बल्कि प्राथमिक परीक्षा है।

स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से गैर-मौजूद और अमान्य मध्यस्थता समझौतों और गैर-मध्यस्थता विवादों को समाप्त करने के लिए समीक्षा। संदर्भ स्तर पर प्रथम दृष्टया समीक्षा डेडवुड को काटना और एविन इलेक्ट्रिकल्स पी. वी. टी. को काटना है।

लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सीधे मामलों में पक्ष शाखाएं जहां बर्खास्तगी खुली और तुच्छ है और जब तथ्यों और कानून पर मुकदमेबाजी पहले चरण में बंद होनी चाहिए। केवल तभी जब अदालत निश्चित हो कि नहीं

और सारांश और एक लघु परीक्षण नहीं। यह अनिवार्य रूप से न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता की प्रकृति और इस संदर्भ में, "स्पष्ट रूप से बहस योग्य" मामले के न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्णा की टिप्पणियों को दर्शाता है। शिन-एत्सु केमिकल कं. लिमिटेड में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं।

इसी तरह के विचार इस न्यायालय द्वारा विमल किशोर मामले में व्यक्त किए गए हैं। शाह बनाम। जयेश दिनेश शाह, (2016) 8 एस. सी. सी. जिसमें परीक्षण पूर्व-मध्यस्थता चरण में लागू किया गया था कि क्या मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के लिए कोई "अच्छा तर्क योग्य मामला" है।

15. तब धारा 8 और 11 के तहत समीक्षा के मानदंड इस प्रकार थे:

138. भारतीय संदर्भ में, हम सम्मानपूर्वक बोघरा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड में तीन श्रेणियों को अपनाएंगे। मुद्दों की पहली श्रेणी, अर्थात्, क्या पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या संदर्भ के लिए आवेदन करने वाला पक्ष इस तरह के समझौते का पक्षकार है, दूसरी और तीसरी श्रेणियों/मुद्दों की तुलना में अधिक गहन जांच के अधीन होगा जो संभवतः, असाधारण मामलों को छोड़कर, मध्यस्थ को निर्णय लेने के लिए हैं। सबसे पहले श्रेणी में, हम इस प्रश्न या मुद्दे को जोड़ेंगे और शामिल करेंगे कि क्या कार्रवाई का कारण व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई से संबंधित है या नहीं।

क्या विवाद का विषय तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है, सर्वव्यापी प्रभाव रखता है, केंद्रीकृत निर्णय की आवश्यकता होती है; क्या विषय-वस्तु राज्य के अविभाज्य संप्रभु और सार्वजनिक हित के कार्यों से संबंधित है; और क्या विवाद का विषय स्पष्ट रूप से है या आवश्यक निहितार्थ द्वारा है अनिवार्य क़ानूनों के अनुसार मध्यस्थता। इस तरह के सवाल शायद ही कभी उठते हैं और जब वे उठते हैं, तो ज्यादातर मौकों पर कानून के सवाल होते हैं। दूसरी ओर, अनुबंध निर्माण, अस्तित्व, वैधता और गैर-मध्यस्थता से संबंधित मुद्दों को जोड़ा जाएगा और आपस में जोड़ा जाएगा।

संबंधित विवादों/दावों के गुण-दोषों में अंतर्निहित मुद्दों के साथ। वे तथ्यात्मक और विवादित होंगे और मध्यस्थ के लिए

न्यायाधिकरण निर्णय लेगा।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

139. हम बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना चाहेंगे, हालांकि यह देखते हुए कि अदालत वैध कारणों से, सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकती है।

शेष रहते हुए एक गहन लेकिन संक्षिप्त प्रथम दृष्टया समीक्षा

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मध्यस्थता प्रक्रिया में सहायता करने के लिए है न कि हड़पने के लिए

मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता। रेफरल स्तर पर एक विस्तृत पूर्ण समीक्षा या एक लंबी समीक्षा करने से इसकी अखंडता और प्रभावकारिता को कम करने में बाधा आएगी और देरी होगी।

एक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता। इसके विपरीत, यदि न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए बहुत अनिच्छुक हो जाता है, तो यह मध्यस्थता और न्यायालय दोनों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। कुछ ऐसे मामले हैं जहां प्रथम दृष्टया जांच के लिए गहन विचार की आवश्यकता हो सकती है। अदालत की चुनौती सही राशि और संदर्भ का पता लगाना है जब वह प्रथम दृष्टया मामले की जांच करेगी या संयम का प्रयोग करेगी। कानूनी आदेश को रेफरल स्तर पर मध्यस्थता बाधा रणनीति से बचने और पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से बचाने के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता होती है जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य होता है। [ओज़लेम सुस्लर, "क्षमता के लिए अंग्रेजी दृष्टिकोण-क्षमता" पेपरडाइन विवाद

रिज़ॉल्यूशन लॉ जर्नल, 2013, वॉल्यूम। 13.]

140. तदनुसार, जब यह प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया समीक्षा

अनिर्णायक हो, या अपर्याप्त माने जाने पर जैसा कि इसकी आवश्यकता है

विस्तृत जाँच, मामले को अंतिम के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए पक्षकारों द्वारा चुने गए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण

सहमति दें। अंतर्निहित तर्क देरी या स्थगन नहीं करना और विलंब और बाधा डालने के लिए एक चाल के रूप में रेफरल कार्यवाही का उपयोग करने से पक्षों को हतोत्साहित करना है। ऐसे मामलों में इस स्तर पर अदालतों द्वारा पूरी समीक्षा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करेगी और अदालतों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच अधिकार क्षेत्र आवंटित करने वाली विधायी योजना का उल्लंघन करेगी। प्राथमिक और प्रथम न्यायनिर्णायक के रूप में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ मुकदमेबाजी का केंद्रीकरण है

लाभदायक क्योंकि यह विवादों के त्वरित और कुशल समाधान में मदद करता है।

16. न्यायालय ने तब अभिव्यक्ति के अर्थ की जांच की

टेंस "जो धारा 11 (6ए) में आता है और इसकी चर्चा के निम्न स्तरों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है:

146. अब हम इस प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या धारा 11 में "अस्तित्व" शब्द केवल अनुबंध गठन को संदर्भित करता है (क्या कोई मध्यस्थता समझौता है) और इसमें ए. वी. आई. एन. विद्युत पी. वी. टी. शामिल नहीं है।

लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रवर्तन (वैधता) का सवाल और इसलिए बाद वाला आता है

रेफरल स्तर पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर। न्यायशास्त्र और पाठ्यवाद पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और मध्यस्थता समझौते की वैधता के बीच अंतर करना संभव है। इस तरह की व्याख्या "अस्तित्व" शब्द के स्पष्ट अर्थ से समर्थन प्राप्त कर सकती है। हालाँकि, न्यायशास्त्र और संदर्भवाद पर, यह मानना समान रूप से संभव है कि

समझौते का कोई अस्तित्व नहीं है यदि यह लागू करने योग्य नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व एक वैध अनुमान लगाता है

समझौता जो पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए खारिज करके न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा। कानूनी और सादे अर्थ की व्याख्या प्रासंगिक पृष्ठभूमि के विपरीत होगी जिसमें शामिल हैं

परिभाषा खंड और इसके परिणामस्वरूप अप्रिय परिणाम होंगे। ए.

"अस्तित्व" की उचित और न्यायपूर्ण व्याख्या के लिए बाध्यकारी और लागू करने योग्य मध्यस्थता समझौते के लिए लागू संदर्भ, उद्देश्य और प्रासंगिक कानूनी मानदंडों को समझने की आवश्यकता होती है। लिखित रूप में प्रमाणित समझौते का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि पक्षों को शर्तों का पालन करने और उनका पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। एक पक्ष अप्रवर्तनीय प्रावधान के आधार पर अधिकार का दावा और मुकदमा नहीं कर सकता है।

दस्तावेज़। इस प्रकार, यह मानने के लिए अच्छे कारण हैं कि एक मध्यस्थता समझौता केवल तभी मौजूद होता है जब वह वैध और कानूनी होता है। एक शून्य और

अप्रवर्तनीय समझ कुछ भी करने के लिए कोई समझौता नहीं है।

एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का अर्थ है एक मध्यस्थता समझौता जो मध्यस्थता अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और संतुष्ट करता है और जब यह कानून में लागू करने योग्य होता है।

147. हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे और आगे के कारण देंगे:

147.1 . गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम। तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग। लिमिटेड, (2019) 9 एस. सी. सी. 209, इस न्यायालय ने एक मध्यस्थता खंड के साथ एक अंतर्निहित अनुबंध में स्टाम्प शुल्क के प्रश्न की जांच की थी और इस संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 (2) के पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर किया था, हालांकि मध्यस्थता समझौते के "अस्तित्व" और "वैधता" के संदर्भ में ऊपर की गई और उद्धृत टिप्पणियों में कहा गया था कि

उपयुक्त और अत्यंत महत्वपूर्ण, हम इसके पैरा 29 को पुनः प्रस्तुत करके इसे दोहराएंगे: (एस. सी. सी पी. 238)

" 29. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में यह निर्णय। हुंडई इंग। & कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड, (2018) 17 एस. सी. सी. 607 इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो विशेष रूप से [2021] 1 एस. सी. आर. के तहत था।

विचार एक मध्यस्थता खंड था जो प्राप्त करेगा

केवल तभी सक्रिय किया जाता है जब कोई बीमाकर्ता दायित्व स्वीकार करता है या स्वीकार करता है। तब से

तथ्य यह पाया गया कि बीमाकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया, हालांकि

कानून में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस फैसले में माना गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात्, बीमाकर्ता ने नहीं किया है

स्वीकार या स्वीकार किए गए दायित्व। इसी तरह, तथ्यों में

वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता खंड है कि

उप-अनुबंध में निहित मामले के रूप में "मौजूद" नहीं होगा कानून जब तक उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती, जैसा कि द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है

" धारा 8, धारा 16 और धारा के विपरीत "अस्तित्व" 45 , जो एक मध्यस्थता समझौते की "वैधता" से संबंधित है

अभिव्यक्ति की इस अदालत की समझ से जवाब दिया गया "
हुंडई इंग में "अस्तित्व"। मामला, जैसा कि हमारे द्वारा अनुसरण किया गया।

99

147.2 . न्यायालय संदर्भ स्तर पर न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। परीक्षा ", आम बोलचाल में एक साधारण अभिव्यक्ति के रूप में, कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार, कुछ खोजने के लिए सावधानी से कुछ देखने या विचार करने के कार्य को संदर्भित करता है। यह.

व्यक्ति को बारीकी से निरीक्षण करने, स्थिति का परीक्षण करने या सावधानीपूर्वक पूछताछ करने की आवश्यकता होती है (मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार)। यह.

न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना और यह कहना अजीब होगा कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है, हालांकि प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से मध्यस्थता समझौता कानून में अमान्य है और विचाराधीन विवाद गैर-मध्यस्थ है। न्यायालय शक्तिहीन नहीं है और अधिकार क्षेत्र से परे कार्य नहीं करेगा, यदि वह संदर्भ के लिए एक आवेदन को अस्वीकार कर देता है, जब मध्यस्थता खंड स्वीकार किया जाता है या बिना किसी संदेह के एक नाबालिग, पागल या एकमात्र दावा एक वसीयत की जांच चाहता है।

147.3 . अधिकांश विद्वान और न्यायविद स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व और वैधता समान है। यहां तक कि स्टावरोस ब्रेकोलाकिस भी स्वीकार करते हैं कि वैधता, मूल और औपचारिक वैधता के संदर्भ में, अनुबंध के प्रश्न हैं और इसलिए अदालत को इसकी जांच करनी चाहिए। 147.4 . अधिकांश क्षेत्राधिकार स्वीकार करते हैं और रेफरल स्तर पर गैर-मध्यस्थता पहलुओं पर अदालत द्वारा प्रथम दृष्टया समीक्षा की आवश्यकता होती है।

ए. वी. आई. एन. इलेक्ट्रिकल्स पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

147.5 . मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 पूरक हैं।

प्रावधान जैसा कि पटेल एंग में आयोजित किया गया था। लि. दोनों प्रावधानों के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य पार्टियों को अपनी संविदात्मक समझ का पालन करने के लिए मजबूर करने और मजबूर करने के लिए समान है। ऐसा होने के कारण, दोनों प्रावधानों को समान मानक निर्धारित करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि अलग-अलग मापदंड निर्धारित करने के रूप में। धारा 11 न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा का कोई मानक निर्धारित नहीं करती है। यह निर्धारित करना कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं। धारा 8 में कहा गया है कि संदर्भ के स्तर पर न्यायिक समीक्षा प्रथम दृष्टया अंतिम नहीं है। प्रथम दृष्टया मानक समान रूप से तब लागू होता है जब न्यायालय द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए, हम धारा 8 में वैध मध्यस्थता समझौते के अधिदेश को धारा 11 के अधिदेश में पढ़ सकते हैं, जो कि "मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व" है।

147.6 . वैधता को शामिल करते हुए अस्तित्व की प्रथम दृष्टया न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग उचित है क्योंकि एक अदालत पहला मंच है जो

रेफरल के लिए अनुरोध की जांच और निर्णय लेता है। एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में पूर्ण "हैंड्स ऑफ" दृष्टिकोण प्रतिकूल होगा और मध्यस्थता को नुकसान पहुंचाएगा। सीमित, फिर भी प्रभावी हस्तक्षेप स्वीकार्य है क्योंकि यह मध्यस्थता में बाधा नहीं डालता है लेकिन इसे प्रभावी बनाता है।

147.7 . सीमित प्रथम दृष्टया समीक्षा का प्रयोग किसी भी तरह से मध्यस्थता की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए क्षमता और अलगाव के सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि परेशान करने वाले और तुच्छ मामले प्रारंभिक चरण में समाप्त हो जाएं।

147.8 . मध्यस्थता समझौते की वैधता के बारे में न्यायिक समीक्षा की प्रथम दृष्टया शक्ति का प्रयोग लागत को बचाएगा और आपत्ति करने वाले पक्षों के उत्पीड़न को रोकेगा जब स्पष्ट रूप से कोई औचित्य नहीं है और गैर-मध्यस्थता की याचिका को स्वीकार नहीं करने का एक अच्छा कारण है। सुब्रत राय सहारा बनाम। भारत संघ, (2014) 8 एस. सी. सी. 470, इस न्यायालय ने कहा है: (एस. सी. सी पी. 642, पैरा 191)

" 191. भारतीय न्यायिक प्रणाली तुच्छ मुकदमों से बुरी तरह पीड़ित है। वादियों को मूर्खतापूर्ण और बीमार लोगों के प्रति उनके बाध्यकारी जुनून से रोकने के लिए तरीके और साधन विकसित करने की आवश्यकता है

दावों पर विचार करें। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस प्रक्रिया में मुकदमेबाजी में, हर गैर-जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण दावे के दूसरी तरफ एक निर्दोष पीड़ित होता है। वह लंबे समय तक घबराहट और बेचैनी की चिंता से पीड़ित रहता है, जबकि [2021] 1 एस. सी. आर.

मुकदमा उसकी ओर से बिना किसी गलती के लंबित है। वह मुकदमे का भुगतान अपनी बचत (या अपने उधार से) से इस चिंता के साथ करता है कि दूसरा पक्ष उसे बिना किसी गलती के हार के लिए धोखा दे सकता है। वह वकील को जानकारी देने और उन्हें अपने दावे के लिए तैयार करने में अमूल्य समय बिताता है। जो समय उसे काम पर या अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए था, वह बिना किसी गलती के बर्बाद हो जाता है। क्या एक वादी को बिना किसी गलती के खोए हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जानी चाहिए?

विधायिका के लिए सुझाव यह है कि एक वादी जो सफल हुआ है, उसे उस व्यक्ति द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए जो हार गया है। विधायिका को सुझाव है कि एक तंत्र तैयार किया जाए जो

जो कोई भी मुकदमे की शुरुआत करता है और जारी रखता है, वह मूर्खतापूर्ण तरीके से उसी के लिए भुगतान करता है। यह सुझाव दिया जाता है कि विधायिका को "अनिवार्य लागत संहिता" लागू करने पर विचार करना चाहिए।

147.9 . यहां तक कि डचूरो फेलगुएरा, एस. ए. वी. में भी। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, (2017) 9 एस. सी. सी. 729, जे. कुरियन जोसेफ, ने पैरा 52 में धारा 7 (5) का उल्लेख किया था और उसके बाद पैरा 53 में एम. आर. इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम. सोम

दत्त बिल्डर्स लिमिटेड, (2009) 7 एस. सी. सी. 696 यह अवलोकन करने के लिए कि उक्त मामले में विश्लेषण इस अंतिम निष्कर्ष का समर्थन करता है कि उक्त मामले में समझौता ज्ञापन में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था। इसके बाद, विशेष रूप से एस. बी. पी. एंड कंपनी. v. का संदर्भ दिया गया। पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618 और राष्ट्रीय

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) का आशय। डचूरो फेलगुएरा में पैरा 48 विशेष रूप से बताता है कि संकल्प मध्यस्थता समझौते में मौजूद होना चाहिए, और यह देखना अदालत का काम है कि क्या समझौते में कोई ऐसा खंड है जो पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों के मध्यस्थता का प्रावधान करता है। पैरा 59 अधिक प्रतिबंधात्मक है और न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है-कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं। अन्य निष्कर्षों के साथ पढ़ें, दोनों अनुच्छेदों को कानूनी अनुपात निर्धारित करने के रूप में पढ़ना उचित होगा कि अदालत को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या अंतर्निहित अनुबंध में मध्यस्थता के लिए एक मध्यस्थता खंड है या नहीं।

पक्षकारों के बीच जो विवाद उत्पन्न हुए हैं-कुछ अधिक नहीं, कुछ कम नहीं। पटेल इंग में निर्णयों का संदर्भ। लि.

और बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड को इस बात पर प्रकाश डालना था कि संदर्भ स्तर पर, 2016 के अधिनियम 3 के संशोधनों के बाद, ए. वी. आई. एन. इलेक्ट्रिकल्स पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई इंग। & निर्माण कंपनी लिमिटेड, (2018) 17 एस. सी. सी. 607], तीन न्यायाधीशों के दोनों निर्णयों ने बीमा अनुबंध होल्डिंग में संदर्भ के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है।

कि दावा मध्यस्थता समझौते से परे था और इसके दायरे में नहीं आया था। न्यायालय ने महसूस किया कि कानूनी स्थिति संदेह से परे थी क्योंकि मध्यस्थता खंड का दायरा पूरी तरह से वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कथन द्वारा कवर किया गया था। महाराज सिंह, (1976) 1 एस. सी. सी. 943] इसी तरह, पी. एस. ए. मुंबई इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड [पी. एस. ए. मुंबई इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, (2018) 10 एस. सी. सी. 525], यह न्यायालय रेफरल स्तर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मध्यस्थता खंड लागू नहीं होगा और विवादों को नियंत्रित करेगा। तदनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के संदर्भ को दरकिनार कर दिया गया था एक उपयुक्त मंच के समक्ष अपने दावे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवादी।

147.11 . व्याख्या योग्यता के आधार पर विवादों को तय करने के लिए रेफरल स्तर पर अदालत और मध्यस्थों के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के बीच निर्णय लेने के अधिकार के आवंटन को उचित रूप से संतुलित करती है। पहली बार के न्यायिक मंच के रूप में न्यायालय प्रथम दृष्टया परीक्षण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके बेजोड़, तुच्छ और बेईमान मुकदमेबाजी की जांच कर सकता है और उसे खारिज कर सकता है। न्यायालयों का सीमित अधिकार क्षेत्र रेफरल स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर त्वरित, जटिल और कुशल निपटान सुनिश्चित करता है।

17. अंततः पीठ ने निष्कर्ष निकाला:

153. तदनुसार, हमारा मानना है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में "मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व" अभिव्यक्ति में मध्यस्थता समझौते की वैधता का पहलू शामिल होगा, हालांकि रेफरल स्तर पर अदालत इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर प्रथम दृष्टया परीक्षण लागू करेगी। बहस योग्य और विवादास्पद तथ्यों, और उचित तर्क योग्य मामले, आदि के मामलों में, अदालत पक्षों को मध्यस्थता समझौते का पालन करने के लिए मजबूर करेगी क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास [2021] 1 एस. सी. आर. का प्राथमिक अधिकार क्षेत्र और अधिकार है।

क्षेत्राधिकार और गैर-मध्यस्थता के प्रश्न सहित विवादों का निर्णय लेना।

154. "मध्यस्थता कौन तय करता है?" शीर्षक के तहत चर्चा। इसे निम्नानुसार क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है:

154.1 . पटेल इंग में निर्णय का अनुपात। लिमिटेड के दायरे में

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा, द्वारा संशोधनों के बाद

2016 का अधिनियम 3 (23-10-2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) और यहां तक कि 2019 के अधिनियम 33 के माध्यम से संशोधनों के बाद (से प्रभावी)

9-8-2019) , अब लागू नहीं है।

154.2 . मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत न्यायिक समीक्षा और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दायरा समान है लेकिन अत्यधिक है।

सीमित और प्रतिबंधित।

154.3 . 2016 के अधिनियम 3 और 2019 के अधिनियम 33 से स्पष्ट विधायी जनादेश और पृथकता और क्षमता-क्षमता के सिद्धांत को देखते हुए सामान्य नियम और सिद्धांत यह है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकरण है। न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (ए) के उपखंड (i), (ii) या (iv) या धारा 34 (2) (बी) के उपखंड (i) के संदर्भ में निर्णय के बाद गैर-मध्यस्थता के पहलुओं पर "दूसरी बार देखने" की शक्ति प्रदान की गई है। 154.4 . एक अवज्ञाकारी के रूप में शायद ही कभी न्यायालय धारा 8 या 11 के स्तर पर हस्तक्षेप कर सकता है जब यह स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से निश्चित हो कि मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में नहीं है, अमान्य है या विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं हैं, हालांकि गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और पहलू कुछ हद तक न्यायिक जांच के स्तर और प्रकृति को निर्धारित करेगा। प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा पक्षकारों की जाँच करने और उन्हें मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से बचाने के लिए है जब मामला है

स्पष्ट रूप से "गैर-मनमाने" और डेडवुड को काटने के लिए। न्यायालय स्वाभाविक रूप से मामले को तब संदर्भित करेगा जब गैर-मध्यस्थता से संबंधित दलीलें स्पष्ट रूप से बहस योग्य हों; जब संक्षिप्त कार्यवाही में विचार अपर्याप्त और अनिर्णायक हो; जब

तथ्यों का विरोध किया जाता है; जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष विलंब की रणनीति अपनाता है या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को बाधित करता है। यह अदालत के लिए एक छोटे से मुकदमे या

विस्तृत समीक्षा में प्रवेश करने का चरण नहीं है ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया जा सके, बल्कि ए. वी. आई. एन. इलेक्ट्रिक्स पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता की पुष्टि करना और उसे बनाए रखना

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र।

155. तदनुसार, संदर्भ का उत्तर दिया जाता है।

18. रमण, जे. ने एक अलग सहमत राय में, ए. एस. ई. कानून का उल्लेख करने के बाद, अपने निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दिया:

244. हमारे अलग होने से पहले, निष्कर्ष पर पहुंचे, के संबंध में

प्रश्न 1 इस प्रकार है:

244.1 . न्यायिक हस्तक्षेप के संबंध में अधिनियम की धारा 8 और 11 का समान दायरा है।

244.2 . आम तौर पर, विषय-वस्तु मध्यस्थता का निर्णय अधिनियम की धारा 8 या 11 के स्तर पर नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह एक स्पष्ट मामला न हो

डेडवुड।

244.3 . अदालत को, धारा 8 और 11 के तहत, किसी मामले को मध्यस्थता के लिए या मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए संदर्भित करना पड़ता है, जैसा भी मामला हो, जब तक कि किसी पक्ष ने एक मजबूत मामले को संक्षेप में चित्रित करके वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया (सारांश निष्कर्ष) मामला स्थापित नहीं किया है कि वह इस तरह के निष्कर्ष का हकदार है।

मध्यस्थता समझौते का निर्धारण प्रथम दृष्टया आधार पर नहीं किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है अर्थात "जब संदेह हो, तो संदर्भ लें"। 244.5 . मध्यस्थता समझौते की प्रथम दृष्टया वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय के दायरे में केवल निम्नलिखित शामिल हैं:

244.5. 1 . क्या मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में था? या

244.5. 2 . क्या मध्यस्थता समझौता इसमें निहित था

पत्रों का आदान-प्रदान, दूरसंचार आदि।

244.5. 3 . क्या मुख्य संविदात्मक सामग्री आवश्यक है

मध्यस्थता समझौता पूरा हुआ?

244.5. 4 . दुर्लभ अवसरों पर, क्या विषय-विवाद का विषय है

क्या यह मनमाना है?

19. 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में न केवल उन समस्याओं पर चर्चा की गई है जो उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, बल्कि उन संशोधनों के लिए भी प्रावधान किया गया है जो 8 और 11 पर किए जाने थे। यह निम्नलिखित रूप में प्रदान किया गया था:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. अधिनियम की धारा 8 में, (i) उप-धारा (1) में, "विवाद का सार" शब्दों के बाद, मध्यस्थता के लिए "जोड़ें" का उल्लेख करें, जैसे कि "के" और शब्दों के बाद "पक्षकारों को कार्रवाई में" जोड़ें "जो पक्षकार हैं" और "मध्यस्थता" शब्द के बाद "समझौता" शब्द जोड़ें।

(ii) उप-धारा (1) के बाद, "बशर्ते कि ऐसा कोई संदर्भ केवल उन मामलों में नहीं किया जाएगा जहां -

((i) कार्रवाई के पक्षकार जो मध्यस्थता के पक्षकार नहीं हैं।

समझौता, कार्रवाई के लिए आवश्यक पक्ष हैं;

((ii) न्यायिक प्राधिकरण यह पाता है कि मध्यस्थता समझौता

अस्तित्व में नहीं है या शून्य है।

व्याख्या 1: यदि न्यायिक प्राधिकरण प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट है, तो वह पक्षों को संदर्भित करेगा। मध्यस्थता करने के लिए और धारा 16 के अनुसार मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के अंतिम निर्धारण को मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ दें, जो प्रारंभिक निर्णय के रूप में उसी का निर्णय करेगा।

मुद्दा;

व्याख्या 2: न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष दायर किए गए किसी भी अंतरिम आवेदन के संबंध में दायर किसी भी अभिवचन को इस धारा के उद्देश्य के लिए विवाद के सार पर बयान नहीं माना जाएगा।

[नोट: शब्द "पक्षकारों के. मध्यस्थता के लिए

सुकन्या होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में उच्चतम न्यायालय के फैसले के संदर्भ में समझौते और संशोधन के प्रावधान (i) का प्रस्ताव किया गया है। लिमिटेड वी. जायेश एच. पांड्या और अन्र। , (2003) 5 एस. सी. सी. 531,-ऐसे मामलों में जहां विवाद के सभी पक्ष मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं, संदर्भ को केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब ऐसे पक्ष कार्रवाई के लिए आवश्यक पक्ष हों-और तब नहीं जब वे केवल उचित पक्ष हों, या अन्यथा कार्रवाई के लिए कानूनी अजनबी हों और केवल मध्यस्थता समझौते को दरकिनार करने के लिए जोड़ा गया हो। संशोधन के प्रावधान (ii) में विचार करते समय न्यायिक प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली दो-चरणीय प्रक्रिया पर विचार किया गया है।

एक लंबित कार्रवाई के संदर्भ की मांग करने वाला आवेदन मध्यस्थता। संशोधन में यह परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए नहीं भेजेगा जब वह पाएगा कि उनमें ए. वी. आई. एन. इलेक्ट्रीकल पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है। यदि न्यायिक प्राधिकारी की राय है कि प्रथम दृष्टया

मध्यस्थता समझौता मौजूद है, फिर यह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को अंततः मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देगा। हालांकि, अगर न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष 44 अंतिम होगा और प्रथम दृष्टया नहीं। संशोधन में यह भी परिकल्पना की गई है कि एक निर्णायक निर्धारण होगा कि क्या मध्यस्थता समझौता अमान्य है।] "

(iii) उप-धारा (2) में, "विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि" शब्दों के बाद "जोड़ें" या एक शपथ पत्र के साथ एक प्रति जो दूसरे को बुलाती है।

मूल मध्यस्थता समझौते या विधिवत प्रमाणित करने के लिए पक्षकार ऐसी परिस्थिति में इसकी प्रतिलिपि जहां मूल मध्यस्थता समझौता या विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि केवल दूसरे द्वारा रखी जाती है।

पार्टी "।

XXX

धारा 11 का संशोधन

7. धारा 11 में,

(i) उप-धारा (4) में, उप-खंड (ख) में, "मुख्य न्यायाधीश द्वारा" "मुख्य न्यायाधीश को हटाएं" "शब्दों के बाद और" उच्च न्यायालय "शब्दों को जोड़ें और इसके बाद -

"उसे" शब्द को हटा दें और "यह" शब्द जोड़ें।

" "उसे" शब्द को हटा दें और "यह" शब्द जोड़ें। ((ग) उप-धारा (6) में, उप-खंड (ग) "अनुरोध" शब्दों के बाद मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है और "उच्च न्यायालय" शब्द जोड़ सकता है।

"नामित" शब्द "उसे" शब्द को हटा देते हैं और "यह" शब्द जोड़ते हैं।

(iv) उप-धारा (6) के बाद, उप-धारा (6ए) डालें।

उच्च न्यायालय या उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत उसके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था द्वारा केवल तभी मध्यस्थता नहीं की जाएगी जब उच्च न्यायालय को पता चलता है कि

समझौता मौजूद नहीं है या अमान्य है,

व्याख्या 1: यदि उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट है, तो वह पक्षों [2021] 1 एस. सी. आर. को संदर्भित करेगा।

मध्यस्थता करने के लिए और के अस्तित्व के अंतिम निर्धारण को छोड़ दें तदनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए मध्यस्थता समझौता

धारा 16 के साथ, जो प्रारंभिक के रूप में उसी का निर्णय करेगा

व्याख्या 2: किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्थान को दिए गए निर्देश को न्यायिक शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं माना जाएगा।

व्याख्या 3: उच्च न्यायालय प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा सकता है

पक्षकार द्वारा विवादों को संस्थागत मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए

पेशेवर भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संस्थान।

[नोट: प्रस्तावित धारा 11 (6ए) में इसी प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है।

जैसा कि प्रस्तावित संशोधन में परिलक्षित होता है

धारा 8. स्पष्टीकरण 2 में उच्च द्वारा उस संदर्भ की परिकल्पना की गई है

उसके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए न्यायालय नहीं होगा

न्यायिक शक्ति के प्रत्यायोजन के रूप में माना जाता है। स्पष्टीकरण 3 में कहा गया है

इस आशा और अपेक्षा के साथ जोड़ा गया कि उच्च न्यायालय

विवादों को संस्थागत बनाने के लिए पक्षों को प्रोत्साहित करें

एक पेशेवर भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान द्वारा मध्यस्थता।]

(v) उप-धारा (7) में "या उप-धारा (6)" शब्दों के बाद "या उप-धारा (6ए)" शब्द जोड़ें और "शब्दों के बाद" हटाएं "शब्द जोड़ें।

"मुख्य न्यायाधीश या" शब्द और "उच्च न्यायालय" शब्द जोड़ें।

अंतिम है जहाँ एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया है या

"व्यक्ति या संस्था" शब्दों के बाद "किया गया है" शब्द जोड़ें।

और "द्वारा निर्दिष्ट" शब्दों के बाद "उसे" शब्दों को हटा दें

अंतिम "और" उच्च न्यायालय, और कोई अपील नहीं "शब्द सम्मिलित करें, पत्र पेटेंट अपील सहित, ऐसे आदेश के खिलाफ होगा।

[नोट: यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि

ए) के अस्तित्व के संबंध में एक सकारात्मक न्यायिक निष्कर्ष

मध्यस्थता समझौता; और (बी) नियुक्ति का प्रशासनिक अधिनियम

मध्यस्थ अंतिम और गैर-अपील योग्य होता है।]

धारा 37, जो कि अपील का प्रावधान है, को भी निम्नानुसार घटाने की मांग की गई थी:

धारा 37 का संशोधन

20. धारा 37 में,

(i) उप-धारा (1) में, उप-खंड "(ए)" को उप-खंड "(बी)" के रूप में पुनर्नामित करें और उप-खंड "(ए) धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करें।

लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ii) उप-धारा (1) में, उप-खंड "(बी)" को उप-खंड "(डी)" के रूप में पुनर्नामित करें और उप-खंड "(सी) मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करें।

एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा "। [नोटः उप-धारा (ए) और (सी) को जोड़ा गया है

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करने के आदेशों के मामलों में अपील धारा 8 के तहत (धारा 50 में मौजूदा प्रावधान को प्रतिबिंबित करते हुए) और

एक अपील प्रदान करने के लिए जहां उच्च न्यायालय एक नियुक्त करने से इनकार करता है

क्रमशः मध्यस्थ।]

(iii) उप-धारा (3) में, "कोई दूसरी अपील नहीं" शब्दों के बाद जोड़ें।

शब्द ", पत्र पेटेंट अपील सहित",

[नोटः यह संशोधन स्पष्ट करने वाला है और इसका दायरा कम करता है।

एल. पी. ए. दाखिल करने के लिए पार्टी का] 20. यह देखा जाएगा कि जब संसद ने 2015 को लागू किया

विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संशोधन, इसने विधि आयोग की रिपोर्ट की योजना का अनुसरण करते हुए धारा 8 और धारा 37 के तहत "..... .....

21. हालाँकि, न्यायिक व्याख्या की एक प्रक्रिया द्वारा, विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) ने अब धारा 11 (6ए) में "प्रथम दृष्टया परीक्षण" को पढ़ा है ताकि धारा 8 (1) और 11 (6) आर/डब्ल्यू 11 (6ए) के प्रावधानों को समान रूप से लाया जा सके। यह देखते हुए कि धारा 11 (7) और धारा 37 में संशोधन नहीं किया गया है, इस प्रकार एक विसंगति उत्पन्न होती है। जबकि धारा 8 के तहत तय किए गए मामलों में, ए पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार धारा 37 (1) (ए) के तहत अपील योग्य है, धारा 6 (ए) और 7 के साथ पठित धारा 11 (6) के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इसी तरह का इनकार अपील योग्य नहीं है। [2021] 1 एस. सी. आर. के आलोक में।

विद्या द्रोलिया (ऊपर) में निर्णय लिया गया है कि संसद को धारा 11 (7) और धारा 37 पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि धारा 8 और 11 के तहत दिए गए आदेशों को भी अपील के बराबर लाया जा सके।

22. अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं। सबसे पहले 29 सितंबर, 2019 की सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट तैयार करना महत्वपूर्ण है, जिसमें सी. एफ. एस. एल. ने पाया है:

ए-1 से ए-11 और एस-1 से एस-16 तक चिह्नित मानक हस्ताक्षरों की तुलना में ए-1 से ए-6 तक चिह्नित प्रश्न किए गए हस्ताक्षरों के लेखन के संबंध में कोई राय व्यक्त करना संभव नहीं है, क्योंकि एम. जी. स्टीफन के हस्ताक्षरों के दोनों सेटों का मॉडल अलग-अलग है, इसलिए तकनीकी रूप से तुलनीय नहीं "।

23. चूँकि सी. एफ. एस. एल. ने किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं की थी, इसलिए यह निर्धारित करना विद्वान एकल न्यायाधीश का दायित्व बन गया कि क्या

मामले की आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए 7 जुलाई, 2014 का समझौता किया जा सकता था। जैसा कि श्री दीवान ठीक ही बताते हैं, 7 जुलाई, 2014 के समझौते तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है जो रिकॉर्ड में हो। दूसरा, 7 जुलाई, 2014 के बाद ही होने वाली बातचीत जिसमें समान पक्षों के बीच एक मसौदा समझौते पर विचार-विमर्श किया जाता है। यह कहना अविश्वसनीय होगा कि एक ही विषय पर बातचीत और एक मसौदा समझौते के बारे में पार्टियों के बीच अंतिम हस्ताक्षरित समझौते पर सहमति होने के बाद बात की जाएगी। दूसरा, वह ठीक ही बताते हैं कि समझौता फरीदाबाद, हरियाणा में नोटरीकृत है, जिसमें नाम के लायक कोई स्पष्टीकरण नहीं है जब बिहार में एक पक्ष द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जाना है जिसका पंजीकृत कार्यालय बिहार में है और दूसरा पक्ष जिसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। तीसरा, नोटरी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने समझौते को नोटरीकृत किया था, उसे ऐसा करने का लाइसेंस नहीं था, उसका लाइसेंस पहले समाप्त हो गया था, एक ऐसा तथ्य जिसे उत्तरदाताओं द्वारा भी स्वीकार किया जाता है।

24. अन्यथा भी, एकल न्यायाधीश के कुछ निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत और अभिलेख के खिलाफ हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश धारण करता है:

" 39. मान लीजिए कि 22.09.2014 पर, एल. ओ. आई. को सम्मानित किया गया था

प्रत्यर्थी और याचिकाकर्ता द्वारा Rs.25 लाख के लिए 27.09.2014 पर चालान उठाने पर, प्रत्यर्थी ने वास्तव में 29.09.2014 पर भुगतान किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने दिनांकित ईमेल भी दिखाया है।

27.09.2014 जिसके द्वारा प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को अपने लेटर हेड पर चालान उठाने के लिए कहा था।

प्रवीण विद्युत पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. गैलेक्सी इन्फ्रा और इंजीनियरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दलों के बीच। इसके अलावा, यह निष्कर्ष कि प्रक्रिया प्रत्यर्थी की एक उप-ठेकेदार थी, पक्षकारों के बीच दलीलों के विपरीत है, जो, जैसा कि हमने देखा है, प्रक्रिया के अपीलार्थी का एक संयुक्त उद्यम भागीदार होने से लेकर अपीलार्थी के साथ सामान्य निदेशक होने तक और उसके बाद प्रक्रिया को प्रमुख भागीदार के रूप में वर्णित किया गया था। उप. ठेकेदार-प्रत्यर्थी द्वारा जहाज का अनुरोध बिल्कुल नहीं किया जाता है, उपरोक्त केवल विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लिखित प्रस्तुतियों से उत्पन्न होता है।

26. यह आरोप कि 7 जुलाई, 2014 के परामर्श समझौते पर श्री एम. जी. स्टीफन के हस्ताक्षर नहीं थे

यह कहते हुए दरकिनार कर दिया गया कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है

दलों द्वारा। यह पूरी तरह से बात से परे है। श्री एम. जी. स्टीफन ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक शपथ पत्र में शपथ ली है कि 7 जुलाई, 2014 के समझौते पर हस्ताक्षर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने 7 जुलाई, 2014 को कोई समझौता नहीं किया था। फिर से, पैराग्राफ 45 में, विद्वान

एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि 7 जुलाई, 2014 को ईमेल द्वारा आदान-प्रदान किए गए "मसौदा समझौते" में निहित पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है, दो कारणों से गलत है। समझौते का मसौदा

ईमेल द्वारा भेजे गए संदेश का आदान-प्रदान 15 जुलाई, 2014 को किया गया था न कि 7 जुलाई, 2014 को। दूसरा, 15 जुलाई, 2014 के ईमेल के जवाब में भेजे गए ईमेल से पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। इसके अलावा, जिस दलील के साथ पक्षकार अदालत गए, वह यह थी कि 7 जुलाई, 2014 को दोनों पक्षों के बीच एक अनुबंध हुआ था। इस नाम के योग्य कोई दलील नहीं थी कि 15 जुलाई, 2014 को दोनों पक्षों के बीच एक मसौदा समझौते का आदान-प्रदान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक संपन्न अनुबंध हुआ था।

27. इस मामले के तथ्य एलिस इन वंडरलैंड की याद दिलाते हैं। लुईस कैरोल के क्लासिक के अध्याय II में, थोड़े समय के बाद एलिस नीचे चला गया था

खरगोश छेद, वह चिल्लाती है "जिज्ञासु और जिज्ञासु!" और लुईस कैरोल कहते हैं "(वह इतनी हैरान थी कि पल भर के लिए वह [2021] 1 एस. सी. आर. को भूल गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलें) "। यह एक ऐसा मामला है जो दस्तावेजी साक्षय और प्रतिपरीक्षा के माध्यम से पक्षों के बीच सच्चाई को उजागर करने का आह्वान करता है। इस मामले में पक्षों के बीच दस्तावेजी साक्षय बनाने वाली पहेली के बड़े टुकड़े अधूरे रहे। 22 जुलाई, 2014 और 25 जुलाई, 2014 के ई-मेल यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं

प्रत्यर्थी यह दर्शाता है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच एस. बी. पी. डी. सी. एल. द्वारा जारी एक निविदा के लिए कुछ सौदा है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि दोनों के बीच एक अनुबंध समाप्त हो गया है। पक्षकार, जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है। सी. एफ. एस. एल. द्वारा निष्कर्ष की अनिर्णायक प्रकृति के साथ-साथ उन पक्षों द्वारा हरियाणा में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिनके पंजीकृत कार्यालय बॉम्बे और बिहार में हैं, इस तथ्य को देखते हुए कि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नोटरी को ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था और कई अन्य।

इस मामले के तथ्यों पर जो उलझनें उत्पन्न होती हैं, किसी न किसी तरह से यह निष्कर्ष निकालना असुरक्षित है कि पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है। विद्या धौलिया (उपरोक्त) में कही गई प्रथम दृष्टया समीक्षा से इस मामले के तथ्यों पर केवल एक ही निष्कर्ष निकल सकता है कि पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं, इस पर गहन विचार एक मध्यस्थ पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो गवाहों से जिरह करने के बाद अपने सामने पेश किए गए दस्तावेजी साक्षय की विस्तार से जांच करेगा। इन सभी कारणों से, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को तब तक दरकिनार कर देते हैं जब तक कि यह निर्णायक रूप से पाता है कि पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता है। हालाँकि, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के अंतिम आदेश को बरकरार रखते हैं। विद्वान न्यायाधीश पहले एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित करेगा कि क्या पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है, और मामले के गुण-दोष पर तभी निर्णय लेगा जब यह पहली बार पाया जाए कि ऐसा समझौता मौजूद है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी मुद्दों पर इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना निर्णय लिया जाएगा जो केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति के हैं। अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

अपील

की आंशिक रूप से अनुमति है।

दिव्या पांडे